प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 21.09.23

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा धक्का मुक्की कर किशोरी को छत से गिराने की घटना कारित करने वाली महिला अभियुक्ता गिरफ्तार

दिनांक 20.09.2023 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्रांतर्गत सैन विहार में अभियुक्ता द्वारा नाबालिक लडकी के साथ धक्का मुक्की की गई जिस कारण नाबालिक लडकी छत से गिर गई तथा गम्भीर चोट लग गई। थाना क्रोसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उक्त महिला अभियुक्ता को हिरासत में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-
महिला अभियुक्ता,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
थाना क्रोसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से चोरी किया गया सरिया बरामद

दिनांक 16.09.2023 को थाना निवाडी पर वादी दुर्गेश यादव पुत्र रामरहिस यादव निवासी सैक्टर 93 नोएडा गेझा गौतमबुद्धनगर के दुहाई बैचिंग प्लांट से ट्रेलर (गाड़ी) मे एलएनटी कम्पनी का सरिया ले जाते समय रास्ते मे कुछ सरिया चोरी हो जाने के संबंध में तहरीर दी गयी। थाना निवाडी पुलिस द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतू 02 टीम गठित की गई।

आज दिनांक 21.09.2023 को थाना निवाडी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त इमामुद्दीन पुत्र सुभराती निवासी काकनियावास

थाना नियवास बांदर सिन्धरी जिला अजमेर को कैनन ग्रीन सोसाइटी मोदीनगर रोड़ से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

इमामुद्दीन पुत्र सुभराती निवासी काकनियावास थाना नियवास बांदर सिन्धरी जिला अजमेर उम्र- 30

बरामदगी का विरवण-

40 सरियों के मुडे हुए टुकडे,

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना निवाड़ी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्ता सहित 04 गिरफ्तार

दिनाकं 11.08.2023 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी शैलन्द्र पुत्र श्री रोशन लाल निवासी म0नं0- बी 96 गली नं0- 04 अंकुर इन्कलेव थाना करावल नगर दिल्ली के साथ प्लाट के नाम पर धोखाधडी करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 21.09.23 को थाना ट्रोनिकासिटी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्तगण 1. लीलू पुत्र मंगलू निवासी खुशहाल पार्क निकट अल्फाल मस्जिद थाना ट्रोनिका सिटी , गाजियाबाद, 2.मौ0 सलीम पुत्र स्व0 मौ0 सुमेर खाँ निवासी अकबरी मस्जिद गली नं0 23 थाना दयालपुर जिला उत्तरी पूर्वी दिल्ली, 3.नौशाद पुत्र अली हसन निवासी उमरपुर थाना बुढाना जिला मुजफ्फरनगर 4. महिला अभियुक्ता निवासी उमरपुर थाना बुढाना जिला मुजफ्फरनगर को गिफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त–

1. लीलू पुत्र मंगलू निवासी खुशहाल पार्क निकट अल्फाल मस्जिद थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र 39 वर्ष,
2. मौ0 सलीम पुत्र स्व0 मौ0 सुमेर खाँ निवासी अकबरी मस्जिद गली नं0 23 थाना दयालपुर जिला उत्तरी पूर्वी दिल्ली उम्र 70 वर्ष,
3. नौशाद पुत्र अली हसन निवासी उमर पुर थाना बुढाना जिला मुजफ्फरनगर उम्र 31 वर्ष,
4. महिला अभियुक्ता निवासी उमरपुर थाना बुढाना जिला मुजफ्फरनगर उम्र 28 वर्ष,

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

अभियुक्त लीलू उपरोक्त के विरुद्ध धोखाधड़ी के 04 अभियोग पंजीकृत है,
अभियुक्त नौशाद उपरोक्त के विरुद्ध धोखाधड़ी के 03 अभियोग व मारपीट का 01 अभियोग पंजीकृत है,

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 30 ग्राम सोना, 06 किलो चाँदी व 03 मोबाइल बरामद।

दिनांक 25/08/2023 को वादी श्री सचिन कुमार पुत्र श्री प्रहलाद स्वरूप निवासी थर्ड जे 61, नेहरू नगर गाजियाबाद ने थाना कोतवाली नगर पर सूचना दी कि उनके साथ फर्जी तरीके से कुछ अज्ञात मोबाइल नम्बर एवं व्हाट्सएप द्वारा सम्पर्क बनाकर तथा अपने साथी को भेजकर सोने व चाँदी के सिक्के (कीमत करीब 1048511 रुपये) को मगवाना तथा पैमेन्ट के लिये फर्जी आरटीजीएस का स्क्रीन शॉट व्हाट्सएप पर भेजकर धोखाधड़ी की गई है। इस सम्बन्ध मे थाना कोतवाली नगर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-

घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया तथा दिनांक 26/08/2023 को अभियुक्त आलम व सचिन शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन से अभियुक्तगण सीमाव उर्फ मनु व मुख्तयार के नाम प्रकाश मे आये तथा सर्विलांस, लोकल इनपुट, मैनुअल इंटेलिजेन्स व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 20/09/2023 को अभियुक्तगण सीमाव उर्फ मनु व मुख्तयार को कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा रेलवे स्टेशन सीमेन्ट गोदाम से भारी मात्रा मे सोने व चाँदी के सिक्को के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त सीमाव उर्फ मनु ने बताया की मै व मेरा साथी मुख्तयार अपनी फर्जी फर्म बनाकर व्हाट्सएप से किसी भी फर्म या दुकानदार से सम्पर्क कर अपनी फर्जी फर्म का नाम व पता ज्वैलर्स को भेजकर माल आर्डर करते है , तथा ज्वैलर्स के नम्बर पर किसी भी बैंक का फर्जी आरटीजीएस बनाकर पैमेन्ट करने का मैसेज भेज देते है ।उसके बाद ज्वैलर्स के मालिक के नम्बर पर अपने साथियो से संपर्क कराकर उनकी फर्म पर भेजकर दुकानदार से माल मगां लेते है। माल लाने का काम आलम व सचिन करते है तथा इस काम के लिये हम सभी फर्जी सिम का इस्तेमाल करते है एवं धोखाधडी करके ज्वैलर्स को ठग लेते है। इसी प्रकार से हमने जानकी ज्वैलर्स के मालिक से सम्पर्क कर उनके साथ ठगी घटना को अंजाम दिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1- सीमाव उर्फ मनु पुत्र समीम उलइस्लाम निवासी तम्बाकू स्ट्रीट सदराला गेट थाना कोतवाली नगर जनपद मुरादाबाद उम्र 40 वर्ष

2- मुख्तयार पुत्र हबीब अहमद निवासी पार्ट वाली मिलक वार्ड नम्बर 01 पाकबडा थाना पाकबडा जनपद मुरादाबाद उम्र 31 वर्ष

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त सीमाव उर्फ मनु के विरुद्ध जनपद मुरादाबाद मे धोखाधडी से संबधित 05 अभियोग व जनपद अलीगढ़ मे धोखाधडी से संबधित 01 अभियोग, कुल 06 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी-

(1)- 03 सोने के सिक्के वजन 30 ग्राम

(2)- 60 चाँदी के सिक्के वजन 06 किलो

(3)- 03 मोबाइल (घटना मे प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

स्वाट टीम पुलिस उपायुक्त नगर जोन

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा घर में घुसकर चोरी करने वाला बाल अपचारी गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल बरामद।

दिनांक 19/09/2023 को नरेन्द्र सिंह राणा पुत्र श्री पीतम सिंह निवासी म0नं0 E-41 भूतल स्वर्ण जयन्तीपुरम गाजियाबाद ने लिखित तहरीर दी कि दि0 19/09/2023 को मेरे बैड पर रखा मोबाइल (वन प्लस) गायब था तथा ड्राइग रूम में आकर देखा तो मेरे पुत्र अभय राणा का टेबल पर रखा एप्पल कम्पनी का लैपटाप, एप्पल आईपैड, हाथ घड़ी, एप्पल ईयर पोडस एवं एप्पल आईफोन जो किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर मे घुसकर चोरी कर लिए है। इस सम्बन्ध में थाना मधुबन बापूधाम पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था

कार्यवाही का विवरण

घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया सभी टीमों के अथक प्रयास ,लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 21.09.23 को कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा घर में घुसकर चोरी करने वाले बाल अपचारी को चोरी किये गये माल के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

बाल अपचारी नें पूछताछ पर बताया कि साहब मैंने ये सारा सामान दिनांक 18/19/09/23 को स्वर्ण जयंती पुरम से मकान E-40 से गेट की जाली काटकर घर के अंदर से चोरी किया था तथा मेज पर रखे बैग में सामान को भरकर ले गया था यह वही बैग है जो मैंने उस मकान से चोरी किया था और यह वही टी-शर्ट है जो मैंने चोरी वाली रात को पहनी थी मैंने यह टीशर्ट चेंज कर दी थी जिससे कोई मुझे पहचान ना ले।

बरामदगी का विवरण

1. एक एप्पल कम्पनी का लैपटाप
2. एक एप्पल कंपनी का काले रंग का आईपैड
3. एक काले रंग की पट्टे की फॉसिल कंपनी की हाथ घड़ी

4. एप्पल कंपनी के सफेद रंग के एअरपोडस प्रो
5. एक एप्पल आईफोन
6.One Pluse NORD मोबाइल
7.एक सफेद रंग का एप्पल आईफोन मोबाइल का चार्जर डाटा केवल सहित
8. एक काले रंग का एम0आई0 कंपनी का पावर बैंक तथा एक सफेद रंग का USB C Mini Display Pod
9. एक टी शर्ट

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा 1 अभियुक्त को आतिशबाजी बेचते वक्त गिरफ्तार किया गया, कब्जे से 10 प्लास्टिक के बोरों में अवैध मिश्रित आतिशबाजी बरामद ।

दिनांक 21.09.2023 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त सगीर पुत्र अब्दुल हकीम नि0 फरूखनगर थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र 50 वर्ष को आतिशबाजी बेचते वक्त जगदम्बा प्रोपर्टी के सामने ग्राम फरूखनगर गोदाम से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 10 बोरे अवैध मिश्रित आतिशबाजी बरामद हुई । अभियक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

सगीर पुत्र अब्दुल हकीम नि0 फरूखनगर थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र 50 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

अभि0 के कब्जे से 10 प्लास्टिक के बोरो में अवैध मिश्रित आतिशबाजी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम